

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

२०२४/२२५

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128 प्रार्थना पत्र	169/24	23/05/24		6/6/24
			11/6/24 फैसला	

अनवान

श्री अम्बा लाल पुत्र कृष्णोड करण्ड

श्री गिरधर पुत्र गोपाल परासर

निवासी गोपालपुरा

निवासी तिलास्बा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुरेश कुमार धाकड़

श्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 169/2024

तारीख दायर 23/5/24

अम्बालाल पुत्र कजोड़ जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

गिरधर पुत्र गोपालपुरा जाति पारासर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला
भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

—: आदेश :-

दिनांक 11/06/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 401 पर अंकित आराजी संख्या 785/413, 843/413 कुल किता 2 रकबा 1.7284 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 401 पर अंकित आराजी संख्या 785/413, 843/413 कुल किता 2 रकबा 1.7284 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
भीलवाड़ा

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

अम्बालाल

वनाम

गिरधर

111-128

नम्बर

169

/2024

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

23/05
/2024


प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलवी/जवाब दिनांक 06/06/2024 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

6/6/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गदी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/6/24 को वास्ते पेश हो।

तामीर प्राप्त।


उपखण्ड अधिकारी

10/6/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्श्व उपस्थित/विपक्षीयता की वार तामीर प्राप्त हुई, जिसमें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में छ-वर्षीय शोरा चारि विर गए, पत्रावली वास्ते शोरा विर गए। पत्रावली आगामी दिनांक 11/06/24 को पेश हो।


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

11/6/24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में पार्श्व अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में शोरा चारि विर गए। तहसीलदार बिजौलियां को वास्तुगत भेजा गया। पत्रावली फांसील शुमार होकर नम्बर से वास्ते 04/06/24 हो।


उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 169/2024

दि. तारीख दायर 23/5/2024

प्रेषिति :-

फैसल - 11/06/24

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या169..... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

अम्बालाल पुत्र कजोड़ जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. गिरधर पुत्र गोपाल जाति पारासर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 401 पर अंकित आराजी संख्या 785/413, 843/413 कुल किता 2 रकबा 1.7284 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ौसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 169/2024

प्रेषिति :-

दि. तारीख दायर 23/5/2024

फैसल - 11/06/24

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या169..... / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

अम्बालाल पुत्र कजोड़ जाति कराड़ उम्र वयस्क निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. गिरधर पुत्र गोपाल जाति पारासर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम तिलस्वां पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 401 पर अंकित आराजी संख्या 785/413, 843/413 कुल किता 2 रकबा 1.7284 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
जिला-भीलवाड़ा